दिनांक 15.01.2016 को प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में आयोजित झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसाईटी (JSWSMS) की कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही :–

(I) उपस्थितिः–

1. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
2. श्री जब्बर सिंह, विशेष सचिव सह निदेशक, ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
3. श्री शिवेन्द्र सिंह, विशेष सचिव सह निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार।
4. श्री राम कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार।
5. श्री राम कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार।
6. श्री जनमेजय ठाकुर, संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।
7. श्री अविनाश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, वित्त–सह–योजना विभाग, झारखण्ड सरकार।
8. श्री कुमार प्रेमचन्द, कार्यक्रम विशेषज्ञ, जल एवं स्वच्छता, यूनिसेफ, राँची, झारखण्ड।

(II) बैठक की कार्यवाहीः–

(i) विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा सर्वप्रथम बैठक में आये हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

(ii) विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा सूचित किया गया कि कुल 10 सदस्यों में से 8 सदस्य इस बैठक में उपस्थित हैं, अतः इस बैठक का कोरम पूर्ण माना जाय।

(iii) इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड एवं मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक, पी0एम0यू0, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा बैठक में उपस्थित होने की असमर्थता जताने पर उन्हें याचित अनुमति अध्यक्ष द्वारा प्रदान की गई।

(III) बैठक में विभिन्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये गये, प्रस्तावों पर कार्यकारी समिति के द्वारा निम्न निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0–1

(A) दिनांक 18.08.2015 को कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

(B) दिनांक 18.08.2015 की बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0–2 **नीर निर्मल परियोजना के वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंकेक्षित प्रतिवेदन का अनुमोदन।**

ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (RWSSP) (नीर निर्मल परियोजना), झारखण्ड के वित्तीय वर्ष 2014–15 के लेखा का अंकेक्षण चयनित Chartered Accountant द्वारा किया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया तथा परियोजना निदेशक ने इसपर संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल टिप्पणी अंकेक्षक के द्वारा नहीं की गई है एवं अंकेक्षक के द्वारा संबंधित इकाई के बैंक खाते से रोकड़ बही का मिलान करते हुए अंकेक्षण किया गया है।

उक्त पर कार्यकारी समिति के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई तथा निदेश दिया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्राप्त निर्देशों/सुझावों का सख्ती से पालन किया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार, वित्त विभाग, मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी (पी0एम0यू0), महानिरीक्षक कार्यालय (निबंधन), झारखण्ड सरकार एवं NPMU भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

प्रस्ताव सं0–3 **वित्तीय वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव रू0 115.8747/– करोड़ पर कार्यकारी समिति की स्वीकृति।**

विशेष सचिव सह निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 28.09.2015 को सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 3rd Steering Committee की बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में परियोजना का बजट वित्तीय वर्ष 2015–16 में Revisit करने के उपरान्त रू0 115.8747 करोड़ तैयार कर भारत सरकार एवं विश्व बैंक को प्रेषित किया गया है। बैठक की कार्यवाही पत्रांक–W-11031/61/2015/Water दिनांक 08.10.2015 के द्वारा निर्गत है।

उक्त पर कार्यकारी समिति के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह निर्देश दिया गया कि प्रस्तावित बजट राशि विधिवत् प्राप्त कर व्यय की जाय।

प्रस्ताव सं0–5 **PAD में अंकित योजनाओं की संख्या में Per capita cost पर लिये गये निर्णय के आलोक में योजनाओं के पुनरीक्षण के क्रम योजनाओं की संख्या में हुए संशोधन पर स्वीकृति।**

विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा समिति को जानकारी दी गई कि नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत कुल तीन बैचो में कुल 751 पाईप जलापूर्ति का निर्माण करने का लक्ष्य था। अन्य राज्यों के तुलना में इस

राज्य के विरुद्ध प्रति व्यक्ति दर (Per Capita Cost) कम रहने के कारण PAD में उल्लेखित लक्ष्य 751 योजनाओं का कार्य पूर्ण करना संभव नही था। इस संबंध में भारत सरकार एंव विश्व बैंक को सूचित किया गया था। दिनांक 28.09.2015 को सचिव, पेयजल एंव स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में राँची में आयोजित Third Steering Committee की बैठक में Per Capita Cost पर निर्णय लिया गया (बैठक की कार्यवाही– W-11031/61/2015/Water दिनांक 08.10.15) जिसके आधार पर पुनः गणना कर 532 योजनाओं का संशोधित लक्ष्य निर्धारित कर भारत सरकार एंव विश्व बैंक को प्रेषित किया गया। उक्त तीन बैचों में संशोधित लक्ष्य 532 पर कार्यकारी समिति की स्वीकृति प्रार्थित है।

उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्देश दिया गया कि Steering Committee में दिये गये निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाय तथा नई योजनाओं के चयन में ऐसे स्थल का चयन किया जाय जहाँ आबादी घनत्व ज्यादा हो ताकि कम लागत पर ज्यादा आबादी लाभान्वित हों।

प्रस्ताव सं0–6 **बैच–2 में लिये जाने वाली विभिन्न योजनाओं के चयन के संबंध में।**

परियोजना अन्तर्गत जिलों के द्वारा बैच–2 के लिए विभिन्न योजनाओं का चयन कार्यकारी समिति द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों/विश्व बैंक/भारत सरकार के निर्णय के आलोक में किया गया है जिसपर कार्यकारी समिति की स्वीकृति प्रार्थित है।

उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे ग्राम पंचायतों में जहाँ पर बैच–1 में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा हो वहाँ पर बैच–2 में आच्छादन के क्रम में योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय बशर्ते बड़े Habitation आच्छादित हों तथा Source Sustainable हो। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि 250 की आबादी से कम लाभान्वित न हो, शेष शर्त्तें प्रस्ताव–6 के निर्णय के अनुरूप हो।

प्रस्ताव सं0–7 **छोटी योजनाओं का Per capita cost का निर्धारण।**

परियोजना अर्न्तगत छोटी योजनाएँ जो विद्युत से चालित हो वैसी योजनाओं की Per Capita Cost अधिकतम Rs. 5000/- एवं सौर उर्जा चालित योजनाओं का Per capita Cost अधिकतम Rs. 5500/- पर भारत सरकार के पत्र सं0– W-11031/61/2015/Water दिनांक 08.10.2015 के

द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, जिस पर कार्यकारी समिति की स्वीकृति प्रार्थित है।

उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0–8

IEC/BCC कार्य हेतु विभिन्न सरकारी सोसाईटी द्वारा Empanelled संस्था से कार्य कराने के संबंध में।

नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत समुदाय की जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना है, परन्तु कुछं IEC/BCC संबंधी कार्य का निष्पादन कभी–कभी तथा तुरंत किया जाना होता है। ऐसे कार्यों में निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन करने में विलम्ब हो जाता है। उक्त को देखते हुए प्रस्ताव है कि ऐसे कार्यों के लिए सरकारी सोसाईटी यथा JSLPS, NHM इत्यादि में चयनित एजेंसियों एवं निर्धारित दरों के आधार पर कार्य कराने की स्वीकृति कार्यकारी समिति से प्रार्थित है।

उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि–

(i) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में संबंधित कार्यों का दर अनुमोदित हो तो उस दर को अंगीकार कर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से कार्य कराया जाय।

(ii) अन्य सरकारी एजेंसियों में संबंधित कार्य हेतु Empanelled एजेंसियों से कार्य के विस्तृत विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए Limited Tender के माध्यम से कार्य किया जाय।

(iii) संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा Empanelled एजेंसी के टेंडर निर्धारण में संबंधित सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप मे सहभागिता सुनिश्चित की जाय।

प्रस्ताव सं0–9

Support Ogranisation (S.O) का चयन एवं सामुदायिक सहभागिता हेतु अस्थायी तौर पर Community Organizer (C.O) का चयन।

इस परियोजना का मुख्य आकर्षण सामुदायिक सहभागिता है। समुदाय के Active participation सुनिश्चित हों इसके लिए Hand hold support हेतु परियोजना में Support Organisation (SOs) रखने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय के आलोक

में SOs का चयन निविदा के माध्यम से किया गया, परन्तु कुछेक Cluster में SOs का चयन निविदा निस्तारित होने के बाद भी नहीं हो पाया है। वर्त्तमान में विभिन्न योजनाओं का कार्य प्रगति में है तथा SOs के नहीं रहने के कारण ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को Hand Holding support नहीं मिल पा रहा है साथ ही साथ Baseline survey जैसे महत्वपूर्ण कार्य नही हो पा रहा है। माह नवम्बर 2015 में विश्व बैंक का Implementation Support Mission झारखण्ड में सम्पन्न हुआ जिसमें यह निर्णय लिया गया कि Grass root level पर योजना के सफल संचालन एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के Hand holding support & Baseline survey की आवश्यकता को देखते हुए जहां SOs चयनित नहीं हुये हैं वैसे Clusters में Community Organiser के माध्यम से कार्य लिया जाये। इस पर भारत सरकार की सहमति भी प्राप्त है। भारत सरकार एवं विश्व बैंक से प्राप्त निदेशों एवं सुझावों के अनुरूप तैयार किये गये ToR के आधार पर Community Organiser की सेवा परियोजनाधीन निर्धारित Procurement Guidelines में निहित Individual consultants प्रक्रिया के द्वारा ली जानी है। उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति की स्वीकृति प्रार्थित है।

उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा निदेश दिया गया कि जहाँ पर योजनाएँ संचालित हो रही हैं वैसे स्थानों में तत्कालीक तौर पर Community Organizer (C.O) की सेवा ली जाय तथा Support Organisation (S.O.) के चयन हेतु EoI यथाशीघ्र प्रकाशित की जाय एवं चयन प्रक्रिया पूर्ण किया जाय।

प्रस्ताव सं0–10 **State Project Management Consultant (SPMC) का चयन।**

विशेष सचिव सह निदेशक द्वारा सदस्यों को जानकारी दी गई कि परियोजना अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर क्षमतावर्द्धन एवं अन्य कार्य वृहद स्तर पर कराया जाना होता है जिसकी रूपरेखा, Training Material, Course curriculum तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करने हेतु एक Dedicated Cell की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संबंध में प्रस्ताव है कि ससमय इन कार्यों के निष्पादन हेतु एक राज्य स्तर पर State Project Management Consultant (SPMC) के रूप में एक एजेंसी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है साथ ही साथ इसके Draft ToR पर कार्यकारी समिति की स्वीकृति प्रार्थित है।

उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा निदेश दिया गया कि विश्व बैंक से अन्तिम ToR पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। परियोजना निदेशक सभी

स्तर पर समन्वय कर इसका अन्तिमीकरण करें। इस कार्य हेतु परियोजना निदेशक को प्राधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव सं0–11 **VWSC द्वारा Village Contact Drive चलाने के संबंध में।**

परियोजना अन्तर्गत समुदाय की जन जागरूकता तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के माध्यम से दो दिवसीय Village Contact Drive चलाया जाना है जिसमें प्रति Village Contact Drive हेतु परियोजना अन्तर्गत IEC/BCC मद से VWSC के बैंक खाते में रू0 2500/– हस्तांतरित कर कार्य करने हेतु जिलों को निदेशित किया जा चुका है, जिसपर कार्यकारी समिति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है।

उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए निदेश दिया गया कि झारखण्ड सरकार के द्वारा अभी योजना बनाओ अभियान ग्राम स्तर पर चलाया जा रहा है। परियोजना संबंधी कार्य जो ग्राम स्तर पर संचालित किया जाना है उसको इस अभियान में शामिल किया जा सकता है तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता को इस संबंध में विस्तृत रूप से पत्र के माध्यम से सूचित किया जाय तथा VWSCs/SOs/DPMUs सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव सं0–12 **डीपीआर बनाने हेतु Consultant के चयन के संबंध में।**

विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि परियोजना अन्तर्गत योजनाओं का डीपीआर तैयार करने हेतु एजेंसियों का पैनल तैयार किया जाना है। विभाग द्वारा पूर्व में अनुमोदित ToR / परियोजना हित में ToR में संशोधन यदि आवश्यक हो तो, करने के उपरान्त EoI प्रकाशित कर एजेंसियों का चयन कर पैनल तैयार करने का प्रस्ताव है।

उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा निदेश दिया गया कि योजनाओं की डीपीआर बनाने हेतु विभाग में उपलब्ध वर्त्तमान ToR में योजना के अनुरूप आवश्यक बदलाव नीर निर्मल परियोजना की आवश्यकता/मार्गनिर्देशिका के अनुरूप करते हुए परियोजना में निहित मार्गनिर्देशिका के अनुरूप खुली निविदा द्वारा एजेंसियों का चयन किया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि डीपीआर बनाने हेतु चयनित एजेंसियों को कार्यादेश देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि चयनित योजना के स्थल पर HYDT/Source create कर लिया गया हो तथा वह योजना के तकनीकी पहलुओं को परिपूर्ण

करता हो। इसके अन्तिम ToR पर PWD Code के प्रावधानों के अनुरूप विभागीय अभियंता प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

प्रस्ताव सं0–13 **अन्यान्य।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक का चयन।

क. विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा समिति को सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के External Audit हेतु मेसर्स K.C. TAK & Co. का चयन कार्यकारी समिति से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में EoI प्रकाशित कर किया गया था। मेसर्स K.C. TAK & Co. के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 का अंकेक्षित प्रतिवेदन पर समिति के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा इनके द्वारा ससमय प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुमोदित अंकेक्षक मेसर्स K.C. TAK & Co. को वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण हेतु पुनः कार्यकारी समिति के द्वारा कार्य करने हेतु अनुमोदित किया गया। शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी।

अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

(कुमार प्रेमचन्द)
कार्यक्रम विशेषज्ञ
जल एवं स्वच्छता, यूनिसेफ
राँची, झारखण्ड।

(अविनाश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
वित्त–सह–योजना विभाग,
झारखण्ड सरकार।

(जनमेजय ठाकुर)
संयुक्त सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड सरकार।

(राम कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार
विभाग, झारखण्ड सरकार।

(राम कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड सरकार।

(शिवेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव सह निदेशक
पंचायती राज विभाग,
झारखण्ड सरकार।

(जबर सिंह)
विशेष सचिव सह निदेशक
ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता
परियोजना, पेयजल एवं स्वच्छता
विभाग, झारखण्ड सरकार।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड, सरकार।

ज्ञापांक –JSWSMS/WB/EC-53/2014- 57 राँची/ दिनांक – 20.01.2016

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त–सह–योजना विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।
2. निदेशक पंचायती राज विभाग विभाग, झारखण्ड सरकार/मुख्य अभियन्ता सह कार्यकारी निदेशक, पी0एम0यू0, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार/ Unicef Project Officer, Water Supply and Sanitation, Ranchi को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

(जब्बर सिंह)
उपाध्यक्ष–सह–सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति
झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसाईटी (JSWSMS)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।